पत्रॉक: 271–357 / 10–पीएमआरवाई / 2007–08,

उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
पीएमआरवाई अनुभाग–10,
कानपुर:दिनॉक: मई 23 , 2007

1– समस्त परि0 अपर / संयुक्त निदेशक उद्योग, उ0प्र0।
2– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 जीआई–13 / 18–2–2007– 30(20) / 2002, दि0 15–5–07 के साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र सं0 PMRY-P-CN-1-(7)/2005-IV दि0 1-5-07 (प्रति संलग्न) द्वारा संशोधित दिशा–निर्देश प्राप्त हुए है , जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। भारत सरकार के सम्बन्धित दिशा–निर्देश वेबसाइट **www.ari.nic.in** पर भी उपलब्ध है । आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार के पत्र में दिये गये निर्देशों का संक्षिप्त सार निम्नवत है :–

1– लाभार्थियों हेतु पारिवारिक आय रू0 40,000 / – से बढ़ाकर 1,00,000 / – कर दी गयी है ।
2– व्यवसाय हेतु परियोजना की लागत रू0 1–00 लाख से रू0 2–00 लाख व उद्योग हेतु रू0 2–00 से रू0 5–00 लाख कर दी गयी है ।
3– उपादान की अधिकतम सीमा रू0 7,500 / – से बढ़ाकर रू0 12,500 / – कर दी गयी है ।
4– स्वयं सहायता समूह के मामलों में उपादान की सीमा रू0 15,000 / – प्रति लाभार्थी, अधिकतम रू0 1–25 लाख प्रति समूह तक कर दी गयी है ।
5– भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गयी है कि संशोधित दिशा–निर्देशो (संलग्नक) का बड़ी गहनता से प्रत्येक स्तर पर अध्ययन व अनुश्रवण करते हुए मुख्य सचिव महोदय के स्तर से समीक्षा बैठक करायी जाए, जिससे कि योजना और अधिक प्रभावी हो सकें । अतः निम्नलिखित दिशा–निर्देश का कड़ाई से पालन करते हुए लाभार्थियों को प्रभावी रूप से समुचित लाभ पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(क)– प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु **"जागरण शिविरों"** का चयन से पूर्व आयोजन करके पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को प्रेरित किया जा सकें । प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक योजना का बृहत प्रचार–प्रसार करते हुए जागरूकता पैदा की जायें। लक्ष्य के 125% अभ्यर्थियों को पीएमआरवाई के लिये प्रोत्साहित करने हेतु रिम्बरर्समेंट के आधार पर रू0 200 / – प्रति अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा ।

Mr. m. mishra (P.C.)
योजना का व्यापक प्रचार प्रसार
कराना सुनिश्चित करें।
07/06/07

(ख)– अभ्यर्थियों के चयन में टास्क फोर्स कमेटी के सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी, जिससे शाखा प्रबन्धक ही नान–परफारमिंग एसेट (यदि पीएमआरवाई ऋण से कोई होता है) हेतु अकेले जिम्मेदार नही होगे।

(ग)– प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत रू0 5–00 लाख के ऋण तक कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नही ली जायेगी ।

(घ)– अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं व अल्पसंख्यक वर्ग के लक्ष्यों को जनपद में उनके आबादी के अनुपात में लक्ष्य निर्धारित कर, प्राप्त किये जाने का विशेष प्रयास किया जाय तथा उसका निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

(च)– महिला लाभार्थी हेतु लक्ष्य का 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाय ।

(छ)– पीएमआरवाई लाभार्थी के चयन के समय कलस्टर क्षेत्र के उत्पादों पर प्राथमिकता दी जाय ।

(ज)– तहसीलदार/विकास खण्ड अधिकारी पीएमआरवाई के आवेदनकर्ता के निवास एवं आय के मापदण्ड को प्रमाणित कर सकते है ।

(झ)– लाभार्थियों का शत–प्रतिशत वेरीफिकेशन निर्धारित प्रारूप पर संलग्नक अ के अनुसार करते हुए अनिवार्य रूप से संकलित करें तथा मण्डलीय कार्यालय इनका परिक्षेत्रीय स्तर पर संकलन सुनिशिचित करें, अन्यथा की स्थिति में जिला उद्योग केन्द्र व परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर की जिम्मेदारी निश्चित की जायेगी।

(ट) नये आवेदन पत्र के प्रोसेसिंग करते समय विगत वर्ष के लम्बित आवेदन–पत्रों पर भी विचार करें, ताकि उन्हें पुनः आवेदन हेतु विचार न करना पड़े ।

(ढ) ऋण वसूली हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

MONTH	APPL. SENT (%)	SANCTIONS (%)	DISBURSEMENT (%)
APRIL	14	-	-
MAY	30	-	-
JUNE	50	25	15
JULY	65	33	18
AUGUST	82	41	20
SEPTEMBER	100	50	25
OCTOBER	108	62	37
NOVEMBER	116	75	55
DECEMBER	125	90	75
JANUARY		94	83
FEBRUARY		100	91
MARCH			100

प्रारूप ए व प्रारूप –बी पर भारत सरकार व प्रारूप अ,ब,स पर शासन/निदेशालय हेतु नियमित सूचना माह की 25 ता0 तक आनी चाहिये, अन्यथा पूर्व माह की सूचना पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित महाप्रबन्धक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें ।

संलग्नक: यथोपरि व लक्ष्य ।

(बलविन्दर कुमार)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0.

पत्रॉक: 358–496 /उपरोक्त, तद दिनांक 23–5–07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समन्वयक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, 45, हजरतगंज, लखनऊ।
2– महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, लघु उद्योग अनुभाग–2, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र सं0 जीआई–13/18–2–2007–30(20)/2002, दि0 15–5–07 के संदर्भ में ।
4– समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– अपर निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय,उ0प्र0, 10–विधानसभा मार्ग, लखनऊ

23/5/07
(ए0एम0सिंह)
अपर निदेशक उद्योग,(पीएमआरवाई)
उ0प्र0,